

भारत के उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110011 (भारत)
NEW DELHI - 110011 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/85/2022-2023

31 जनवरी, 2023

सेवा में,

श्री विजय
पुत्र स्व. श्री फते कहार
निवासी पूरे पंडित का पुरवा,
मजरे राही, पोस्ट व ब्लॉक रही,
तहसील-सदर, जनपद-रायबरेली-229001

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 10.01.2023 का पत्र जो इस सचिवालय में 16.01.2023 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ दस रुपये का नोट सं. 33एस 416564 संलग्न कर अपने धारा क्रमांक में जानकारी चाही है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपका दिनांक 02.12.2022 का आवेदन इस सचिवालय में 06.12.2022 को प्राप्त हुआ जो की माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्या पालक विकास अभिकरण, जनपद- रायबरेली के नाम संबोधित था। इसलिए आपके आवेदन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तथा आवेदन को फाइल कर दिया गया है। आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

अतः आपका पत्र मूल रूप में दस रुपये का नोट सं. 33एस 416564 सहित आपको लौटाया जा रहा है।



(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,

मा0 जनसूचना अधिकारी महोदय,
कार्यालय-उपराष्ट्रपति, भारत सरकार सचिवालय,
नई-दिल्ली 110011

विजय पुत्र स्व0 फत्ते कहार, निवासी पूरे पंडित का पुरवा, मजरे राही, पोस्ट व
ब्लाक राही, तहसील सदर, जनपद-रायबरेली।याची।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संशोधित अधिनियम 2006
धारा-6(1) 7(1) के अन्तर्गत प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराये जाने के
सम्बन्ध में।

महोदय,

याची को निम्नवत् सूचनाओं की आवश्यकता है:-

धारा-1. यह कि पत्र दिनांक 02.12.2022 की आपके कार्यालय में दिनांक 03.12.
2022 को रजिस्ट्री द्वारा भेजा गया जिसकी रसीद की फोटो कॉपी
संलग्न है। कब तिथि से दिनांक को प्राप्त हुआ जिसपर अब तक क्या
कार्यवाही हुयी कार्यवाही की प्रमाणित उत्तर समयसीमा के अन्दर
उपलब्ध करवायें।

धारा-2. यह कि अधिनियम के अन्तर्गत अब तक क्या कार्यवाही हुयी और
विलम्ब का कारण समयसीमा के अन्दर प्रमाणित उत्तर उपलब्ध करायें।

धारा-3. यह कि प्रकरण का निस्तारण किस तिथि को होगा उस तिथि का
समयसीमा के अन्दर प्रमाणित करते हुए उपलब्ध करा दीजिए।

धारा-4. यह कि अन्य किस विभाग को भेजा गया उस विभाग का पूरा पता
समयसीमा के अन्दर उपलब्ध कराये जाने का सादर कष्ट करें।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि धारा-1 ता 4 में मांगी गयी सूचना
समयसीमा के अन्दर उपलब्ध कराये जाने का सादर कष्ट करें।

संलग्नक :- न्याय शुल्क के रूप में 10/-रु0 का नोट संख्या- 33S 416564
अदा किया जाता है यदि किसी अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता
हो तो समयसीमा के अन्दर रजिस्टर्ड/स्पीड-पोस्ट के माध्यम से
अवगत करायें?

दिनांक : 10.01.2023

याची
विजय
(विजय)
उपरोक्त



Blank
10/01/23

SP